उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 183 /2019/2703/92-2-19-79जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 27 नवम्बर,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-संभल में वर्ष 2015-16 में चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम-नारंगपुर, विकास-खण्ड-पवासा, प्रखण्ड-सम्भल में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 24-12-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-34/2019/471/92-2-19-79जांच/15 दिनांक 22-02-2019 द्वारा श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संभल सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एच0आर0 के अनुच्छेद-351 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ के पत्रसं0-863/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-बुशहर-110/19-20 दिनांक 24-09-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित नही पाया गया।

2- अत: अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित न पाये जाने, निर्माण कार्य में त्रुटियां गम्भीर प्रकृति की नही पाये जाने तथा परिलक्षित शासकीय क्षति सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत पाये जाने एवं अपचारी अधिकारी के दिनांक 30-04-2016 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी, श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संभल सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-34/2019/471/92-2-19-79जांच/2015 दिनांक22-02-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-183/2019/2703/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री मोहन चन्द्र शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सम्भल सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।